गोपीलाल बनाम विनोद कुमार

प्रा.पत्र 51/2021

3/1/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज कन्डोलेंस किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। ~~पी०ओ० साहब अन्य सत्र कार्य में व्यस्त~~ हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/1/23 को पेश।

10/1/23 पत्रावली पेश हुई। वकील श्री पक्ष उपस्थित। अभिभाषक पेशकर्ता द्वारा आज पेश किया गया स्थगन हेतु के लिए लिखा प्रार्थना पत्रावली पर अगले दिनांक 20/2/2023 को पेश हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

20/02/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कोर्ट कार्य [illegible] किये जाने के कारण न्यायिक [illegible] नहीं की जा सकी। पी०ओ० [illegible] व्यस्त हैं। अतः पत्रावली [illegible] 13/03/23 को पेश हो।

12/6/25 पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के क्रमांक RAA/2025/7946 दिनांक 9/5/25 के द्वारा प्राप्त हुई। पत्रावली आज पेश हुई। स्मरण से मूलवाद 58/2021 का निस्तारण हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र टी.आर. का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रा.पत्र टी.आर. को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के कलम शुमार हो, दर्ज नम्बर के कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)